लोक सभा

मंगलवार, 22 फरवरी, 2011/3 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय प्रधानमंत्री।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। आप लोकतंत्र की बात करिये मगर इसको नीचे रखिये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से आपका तथा आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा का मेरे सहयोगियों, जिन्हें हाल ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, से परिचय कराना चाहता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1.	श्री प्रफुल पटेल	-	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री
2.	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	-	कोयला मंत्री
3.	श्री सलमान खुर्शीद	-	जल संसाधन मंत्री और अतिरिक्त प्रभार, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

4.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	-	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्य मंत्री

5.	श्री अश्विनी कुमार	-	योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
6.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	-	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन से जुड़े विवाद की वजह से संसद का बहुमूल्य शीतकालीन सत्र बिना काम काज के समाप्त हो गया था। हमारा देश ऐसी स्थिति को सहन नहीं कर सकता, जिसमें संसद को पंगु बना दिया जाए और उसे महत्वपूर्ण विधायी काम काज न करने लिए जाए। मैं समझता हूं कि संसद की कार्यवाही ठप्प करके हम उस जनता की सेवा नहीं करते, जिसने हमें चुनकर यहां भेजा है।

महोदया, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में सरकार ने पारदर्शिता के साथ तेजी से कार्रवाई की है। 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन की जांच उच्चतम न्यायालय की देखरेख में सी.बी.आई. कर रही है। इसके अलावा, यह मामला संसद की लोक लेखा समिति के पास भी है, और सरकार उसके साथ पूरा सहयोग कर रही है। न्यायमूर्ति श्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में गठित एक स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट भी हमारे पास है, जो सार्वजनिक भी की जा चुकी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी तेजी से कार्रवाई की है।

महोदया, चूंकि सभी प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद थी कि संयुक्त संसदीय समिति के मुद्दे पर जोर न देने के लिए हम विपक्ष का मना लेंगे। हम अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो सके। यदि महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान भी संसद को नहीं चलने दिया जाता है, तो हमारे लिए उस स्थिति को सहन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इन विशेष परिस्थितियों के कारण संयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिए हमारी सरकार सहमत हो रही है।

महोदया, हम एक कार्यशील लोकतंत्र हैं और हमें अपने मतभेदों का निराकरण टकराव की भावना से नहीं, बल्कि सहमति और मेलजोल की भावना से करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इससे प्रगति के पथ पर अग्रसर होते भारत में नया आत्मविश्वास पैदा होगा। इसलिए, मैं माननीया अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे संयुक्त संसदीय समिति के गठन की दिशा में आगे बढ़ें। इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): देर आए दुरुस्त आए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आपसे आग्रह और अनुरोध किया हैं कि आप जेपीसी का गठन करें।

अध्यक्ष महोदया, यह सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष की जय-पराजय का प्रश्न नहीं है, यह लोकतंत्र की विजय है। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हम जटिल से जटिल परिस्थिति में भी मिल बैठकर रास्ता निकाल लेते है। कभी रास्ता जल्दी निकलता है, कभी देरी से। इस बार देरी से हल निकला, लेकिन इस हल को ढूंढने में प्रधानमंत्री जी के अलावा जो आपकी स्वयं की भूमिका रही, नेता सदन की भूमिका रही और संसदीय कार्यमंत्री जी की जो भूमिका रही है, उस सबका नोटिस लेते हुए और उनके प्रति भी धन्यवाद करते हुए, मैं अपने साथी सांसदों से यह कहना चाहूंगी कि अब जीत-हार की बहस छोड़कर, इस लोकतंत्र की महान शक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए, हम सदन की कार्यवाही प्रारंभ करें, यही उचित होगा।

अध्यक्ष महोदया: बसुदेव आचार्य जी। आप बहुत संक्षेप में बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, हम अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह मूल्यवृद्धि से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदया: हम मूल्यवृद्धि के मुद्दे को बाद में लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आप मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदया: ठीक हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपको देर करने की आवश्यकता नहीं थी। यही बात उसी वक्त स्वीकार कर ली जाती तो पूरा सत्र क्यों बंद होता। हम सत्र चलाने के पक्ष में हैं और विपक्ष ज्यादा चाहता है कि सदन चले, क्योंकि हम अपने सवाल उठाते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि विपक्ष कभी भी नहीं चाहता कि सदन न चले। देर से ही चले, लेकिन पूरे देश की जनता को आपने जना दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यदि इसे तुरन्त स्वीकार कर लेते तो शायद कोई जान नहीं पाता। लेकिन अब गांव-गांव और घर-घर में जनता जान गई है। आपको तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है कि जनता भी जान गई कि सरकार अड़ी हुई है और भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। अंततोगत्वा आपने यह स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए धन्यवाद। मुझे खुशी होगी, यदि ऐसी कमेंटी बने जो इस पर ठोस निर्णय ले, ताकि भविष्य में कोई ऐसा उदाहरण सामने न आए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह सरकार की प्रशंसा करने का प्रश्न नहीं है और न ही यह सरकार को बधाई देने का प्रश्न है। सरकार ने केवल अपना कर्त्तव्य निभाया हैं। सरकार के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते यह सरकार और उससे बढ़कर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि संसदीय मानदंडों का पालन किया जाए तथा संसद चले। संसद उस तरफ या इस तरफ की तनातनी के व्यवहार के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। संसद केवल आम राय से ही चलाई जा सकती है।